दिनांक 12–12–2012 को मुख्य सचिवालय स्थित सभागार में मुख्य सचिव, बिहार की अध्यक्षता में बिजली वितरण की समस्याओं के संबंध में सभी जिलाधिकारियों, प्रभारी प्रधान सचिवों एवं बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लिमिटेड के पदाधिकारियों के साथ विडियो कॉफ्रेन्सिंग की कार्यवाही।

1. सूची संलग्न

2. सर्वप्रथम मुख्य सचिव, बिहार ने बताया कि राज्य सरकार के स्तर पर बिजली का उत्पादन बढ़ाने के लिए कई योजनाएँ चलायी जा रही हैं। साथ–ही–साथ ट्रान्समीशन एवं सब–ट्रान्समीशन की योजनाएँ भी चल रही हैं। इन योजनाओं का फायदा लोगों को तभी मिल पायेगा जब उपलब्ध बिजली का संचरण एवं वितरण सुचारू रूप से हो सके। जिलों में वितरण व्यवस्था से संबंधित जो समस्याएँ हैं उसके निदान हेतु जिलाधिकारी अपने स्तर पर बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी के क्षेत्रीय पदाधिकारियों के साथ बैठक करें। जिन समस्याओं का निदान जिलाधिकारी स्तर पर नहीं हो पाता है, उन समस्याओं को राज्य स्तरीय विडियो कॉफ्रेन्सिंग में बतायें ताकि उसका निदान निकाला जा सके।

3. (क) **ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धारित अवधि में सिंचाई हेतु निर्बाध बिजली आपूर्त्ति :** राज्य सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धारित अवधि में निर्बाध बिजली आपूर्त्ति हेतु बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी को आदेश दिया गया था। जिलाधिकारी को यह पता करना होगा कि निर्धारित अवधि में ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की आपूर्त्ति हो रही है या नहीं। जिलाधिकारी मात्र बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी के रिपोर्ट पर निर्भर ना रहे बल्कि अपने अन्य श्रोतों यथा कृषि सलाहकार इत्यादि से बिजली आपूर्त्ति के संबंध में सूचना प्राप्त करें। यदि पावर (होल्डिंग) कम्पनी के रिपोर्ट एवं अन्य श्रोतों से प्राप्त सूचनाओं में अन्तर हो तो इसकी समीक्षा कर अन्तर को दूर किया जाना है।

(ख) **खराब ट्रान्सफॉरमर को बदला जानाः** खराब ट्रान्सफॉरमर को समय पर नहीं बदले जाने के कारण शिकायतें आती रहती थी। स्थिति में सुधार हुआ है। इस पर और ध्यान देने की आवश्यकता है। जिला स्तर पर जो वितरण ट्रान्सफॉरमर ओभर–लोडेड हैं जिनका क्षमता विस्तार किया जाना है या जहाँ अतिरिक्त वितरण ट्रान्सफॉरमर की आवश्यकता है, इसकी भी समीक्षा की जानी है। खराब ट्रान्सफॉरमर के मरम्मति हेतु कार्यरत टी0आर0डब्ल्यू0 के क्षमता विस्तार साथ ही नये टी0आर0डब्ल्यू0 की स्थापना शीघ्र किये जाने हेतु बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लिमिटेड को निदेश दिया गया। विभिन्न क्षमता के नये पावर/वितरण ट्रान्सफॉरमर खरीदे जाने के लिए भी योजना बनायी गयी है। राज्य सरकार द्वारा पावर/वितरण ट्रान्सफॉरमर के क्रय एवं पावर सेक्टर के अन्य महत्वपूर्ण कार्यो के लिए निधि उपलब्ध करायी जायगी।

(ग) **रिकंडक्टरिंगः** पुराने एवं जर्जर तार को बदले जाने हेतु कई योजनाएँ चलायी जा रही हैं। राज्य योजनान्तर्गत रिकन्डक्टरिंग का कार्य किया जा रहा है। ए.डी.बी. की सहायता से भी कई शहरों में पुराने एवं जर्जर तार को बदले जाने की योजना है। साथ ही, आर.–ए.पी.डी.आर.पी. योजना के तहत भी रिकंडक्टरिंग का कार्य कराया

जाना है। जिलाधिकारियों को निदेश दिया गया कि पुराने एवं जर्जर तार को प्राथमिकता तय करते हुए उपर्युक्त योजनाओं के तहत रिकंडक्टरिंग का कार्य तत्परतापूर्वक कराया जाना है।

(घ) **राजकीय नलकूप एवं जलापूर्त्ति योजनाः** पुराने राजकीय नलकूपों एवं पी.एच.ई.डी. के जलापूर्त्ति पम्प जो विद्युत दोष/यांत्रिक दोष/असैनिक दोष के कारण बंद है, इसके संबंध में निदेश दिया गया कि जिलाधिकारी सभी संबंधित विभागों के पदाधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित कर इसका निराकरण करायेंगे। सभी जिलाधिकारियों को निदेश दिया गया कि नाबार्ड फेज–XI के तहत जो नये राजकीय नलकूप लगाये जा रहे हैं उसे प्राथमिकता देते हुए शीघ्र कार्य सम्पन्न कराया जाना है।

(ड़) **बिजली चोरीः** बिजली की चोरी बड़े पैमाने पर हो रही है। बिजली चोरी रोकी जानी है, इसके लिए बड़े पैमाने पर नियमित रूप से छापेमारी की जानी है तथा दोषियों के विरूद्ध एफ.आई.आर. दर्ज करायी जानी है तथा दोषियों की गिरफ्तारी की कार्रवाई भी की जानी है। मुख्य सचिव द्वारा बताया गया कि राज्य स्तर पर विद्युत क्षेत्र से संबंधित चोरी के सभी मामलों के चार्ज–शीट एवं conviction की भी समीक्षा की जायगी। निदेश दिया गया कि सभी जिलाधिकारी आरक्षी अधीक्षक के साथ जिला स्तर पर इसकी समीक्षा कर लें ताकि राज्य स्तरीय समीक्षा के दरम्यान पूरा विवरण प्रस्तुत किया जा सके।

(च) **राजस्व संग्रहण की समीक्षाः** निदेश दिया गया कि सभी जिलाधिकारी राजस्व संग्रहण की समीक्षा अपने स्तर पर नियमित रूप से करें। समीक्षा के दौरान यह देखा जाना है कि जितनी बिजली की आपूर्त्ति हो रही है उसकी तुलना में कितनी बिजली का विपत्रीकरण हो रहा है, कितना प्रतिशत राजस्व संग्रहण हो रहा है। जिस मीटर रिडिंग एवं विपत्र वितरण एजेन्सी का कार्य संतोषजनक नहीं है उसकी जगह विद्युत अधीक्षण अभियन्ता स्तर पर नये एजेन्सी नियुक्त करने का पावर बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी द्वारा दिया गया है।

(छ) **भूमि अधिग्रहण संबंधी समस्याएँः** विद्युत वितरण हेतु पावर सब–स्टेशन, संचरण हेतु ग्रीड सब–स्टेशन एवं विद्युत उत्पादन हेतु पावर प्रोजेक्ट के लिए भूमि अधिग्रहण की जरूरत होती है। पावर सेक्टर के लिए भूमि अधिग्रहण राज्य सरकार की उच्च प्राथमिकता में है। भूमि अधिग्रहण के मामले में जिस स्तर पर विलम्ब होता है उनके विरूद्ध सख्त कार्रवाई की जानी है।

4. **पूर्ववर्त्ती विद्युत बोर्ड के जमीन एवं भवन का पुनर्मूल्यांकनः** मुख्य सचिव द्वारा बताया गया कि बिहार राज्य विद्युत बोर्ड का रिस्ट्रक्चरिंग करते हुए पाँच कम्पनियों में पुनर्गठन कर दिया गया है। पूर्ववर्त्ती बिहार राज्य विद्युत बोर्ड के भूमि एवं भवनों का सरकारी दर पर पुनर्मूल्यांकन किया जाना है जिसका ब्योरा सभी जिलाधिकारियों को e-mail द्वारा उपलब्ध

करा दिया गया है। शीघ्र इसका पुनर्मूल्यांकन किया जाना है ताकि नई कम्पनियों का बैलेंस शीट अद्यतन किया जा सके।

5. पिछले विडियो कॉफ्रेन्सिंग के दरम्यान जिलाधिकारियों द्वारा विद्युत कार्यपालक अभियन्ताओं को वित्तीय एवं प्रशासनिक शक्ति दिये जाने का मुद्दा उठाया गया था। बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लि0 द्वारा इस मुद्दे पर कार्रवाई करते हुए विद्युत कार्यपालक अभियन्ताओं को वित्तीय शक्ति प्रदान करते हुए Revolving Fund उपलब्ध करा दिया गया है। सचिव (ऊर्जा) द्वारा विद्युत आपूर्त्ति प्रमंडल स्तर पर और वित्तीय एवं प्रशासनिक शक्तियॉ दिये जाने की आवश्यकता बतायी गयी। विद्युत आपूर्त्ति प्रमंडल स्तर पर एकाउन्टिंग यूनिट खोले जाने की दिशा में बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लि0 द्वारा कार्रवाई की जानी है।

6. मुख्य सचिव के निर्देशानुसार विद्युत वितरण एवं संचरण क्षेत्रों में व्याप्त अवरोधों को दूर करने हेतु सचिव (ऊर्जा) द्वारा पाँच विद्युत आपूर्त्ति क्षेत्रों के विद्युत कार्यपालक अभियन्ता स्तर से महाप्रबन्धक–सह–मुख्य अभियन्ता स्तर तक के पदाधिकारियों के साथ विद्युत वितरण एवं संचरण क्षेत्रों में वितरण ट्रान्सफॉरमर स्तर से ग्रीड सब–स्टेशन के पावर ट्रान्सफॉरमर तक की क्षमता एवं 11 के.वी. लाईन तथा 33 के.वी. लाईन में व्याप्त अवरोधों को दूर करने हेतु समीक्षात्मक बैठक की गयी है। समीक्षात्मक बैठक के दौरान निदेश दिया गया है कि पावर/वितरण ट्रान्सफॉरमर तथा कंडक्टरों में जहाँ भी अवरोध है उसकी पहचान की जानी है तथा प्राथमिकता तय करते हुए व्याप्त अवरोधों को दूर किया जाना है। जो अवरोध किसी योजना में covered है उसे उस योजना के अन्तर्गत कराया जाना है। जो किसी योजना में covered नहीं है उसके लिए अलग से राज्य योजना के अन्तर्गत कराये जाने हेतु प्रस्ताव तैयार किया जाना है। जिलाधिकारियों / प्रमंडलीय आयुक्तों से अनुरोध किया गया कि वे अपने स्तर पर भी विद्युत वितरण एवं संचरण क्षेत्रों में व्याप्त अवरोधों की पहचान हेतु विद्युत कार्यपालक अभियन्ताओं के साथ समीक्षा करेंगे।

7. पिछले विडियो कॉफ्रेन्सिंग के दरम्यान जिलाधिकारियों द्वारा क्षेत्रीय कार्यालयों में छोटी–मोटी सामग्रियों की कमी बतायी गयी थी जैसे दास्ताना, मेगर, फ्यूज वायर इत्यादि। बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लि0 द्वारा सभी विद्युत कार्यपालक अभियन्ताओं को स्थानीय स्तर पर इन सामानों को खरीदे जाने हेतु राशि उपलब्ध करा दी गयी है। क्षेत्रीय कार्यालयों में मानव–बल की कमी की भी चर्चा की गयी थी। बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लि0 द्वारा सहायक विद्युत अभियन्ताओं/कनीय विद्युत अभियन्ताओं की नियुक्ति की गयी है। नियुक्ति के उपरान्त नवनियुक्त सहायक विद्युत अभियन्ताओं/कनीय विद्युत अभियन्ताओ को मीशन एरिया के संबंध में ट्रेनिंग के बाद क्षेत्रीय कार्यालयों में इनका पदस्थापन कर दिया गया है। वर्तमान में कोई भी प्रशाखा एवं विद्युत आपूर्त्ति अनुमंडल ऐसा नहीं है जहाँ नियमित कनीय विद्युत अभियन्ता / सहायक विद्युत अभियन्ता पदस्थापित नहीं हैं।

8. अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक, बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लिमिटेड द्वारा बताया गया कि पिछले विडियो कॉफ्रेन्सिंग के दरम्यान जिलाधिकारियों द्वारा बताया गया कि प्राक्कलन बनाये जाने में विलम्ब होता है। इस संबंध में पावर (होल्डिंग) कम्पनी द्वारा विभिन्न प्रकार के करीब 12 कार्यों हेतु प्राक्कलन का टेम्पलेट बनाकर सभी क्षेत्रीय कार्यालयों को भेज दिया गया है।

9. पिछले विडियो कॉफ्रेन्सिंग के दरम्यान मुख्य सचिव महोदय द्वारा खराब पावर/वितरण ट्रान्सफॉरमरों के रिपेयर हेतु outsource से भी कराये जाने का निदेश दिया गया था जिसके अनुपालन में निविदा विज्ञापित किया जा चुका है। राज्य में 13 अतिरिक्त टी.आर.डब्ल्यू. के निर्माण का निर्णय लिया गया था। दो जगहों यथा कटिहार एवं चन्दौती के टी.आर.डब्ल्यू. की क्षमता विस्तार हेतु निविदा आमंत्रित की गयी है।

10. विद्युत आपूर्त्ति प्रमंडलों में कम्प्यूटर की शीघ्र व्यवस्था कर दी जायगी।

11. विद्युत भंडार का विकेन्द्रीकरण किया जा रहा है। अंचलीय भंडार के अलावे 22 विद्युत आपूर्त्ति प्रमंडलों में जहाँ उपयुक्त भंडारण की क्षमता है वहाँ भंडार चालू करा दिया गया है।

12. विडियो कॉफ्रेन्सिंग से संबंधित चेक–लिस्ट सचिव (ऊर्जा) द्वारा सभी जिलाधिकारियों को ई–मेल पर भेजा गया था तथा चेक–लिस्ट फॉरमेट में विडियो कॉफ्रेन्सिंग के पूर्व ऊर्जा सचिव एवं अध्यक्ष, बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कम्पनी लि0 को उनके ई–मेल क्रमशः energy@bihar.gov.in एवं chairmanbaseb@yahoo.co.in भेजा जाना था। जिलाधिकारी, पश्चिम चम्पारण को छोड़कर किसी जिलाधिकारी द्वारा चेक–लिस्ट फॉरमेट में रिपोर्ट नहीं भेजा गया है। निदेश दिया गया कि अगली बार से निश्चित रूप से सभी जिलाधिकारी द्वारा चेक–लिस्ट फॉरमेट में रिपोर्ट भेजा जाना है ताकि विडियो कॉफ्रेन्सिंग के दरम्यान आसानी से समीक्षा की जा सके।

13. निदेशक(वित्त), बी.एस.पी.एच.सी.एल. द्वारा पावर होल्डिंग कम्पनी के सभी क्षेत्रीय पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि नये उपभोक्ता बनाये जाने हेतु प्रखंड स्तर पर शिविर का आयोजन जिला प्रशासन को पूर्व सूचना के उपरान्त लगायी जानी है एवं अधिक–से–अधिक नया उपभोक्ता बनाया जाना है।

14. **मुजफ्फरपुर जिलाः**

14.1 जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि चेक लिस्ट के अनुसार टास्क फोर्स की बैठक में समीक्षा किया जा रहा है।

14.2 ग्रामीण क्षेत्रों में सिंचाई हेतु निर्धारित अवधि में लगभग चार घण्टा बिजली की आपूर्त्ति हो रही है।

14.3 जिले में अभी 19 वितरण ट्रान्सफॉरमर (63 के.वी.ए. का 14 एवं 100 के.वी.ए. का 5) खराब है। जिलाधिकारी द्वारा आश्वस्त किया गया कि अगले विडियो कॉफ्रेन्सिंग तक यह संख्या नगण्य हो जायगी।

14.4 जिले में रिकंडक्टरिंग के कार्य–क्षेत्र में प्राथमिकता तय करते हुए बढ़ौना 33 के.वी. लाईन, खरौना डीह 11 के.वी. लाईन तथा शहर में जीरो माईल से एस.के.एम.सी.एच. LT लाईन में कार्य कराया जा रहा है।

14.5 जिले में बिजली चोरी की रोक–थाम के क्रम में 52 परिसरों का निरीक्षण किया गया, 35 एफ.आई.आर. दर्ज किया गया है। धारा–135 के अन्तर्गत करीब 55 लाख का जुर्माना लगाया गया है जिसमें से 5.29 लाख रूपये की वसूली की गयी है एवं धारा–126 के अन्तर्गत कोई वसूली नहीं हुई है।

14.6 20 नीलाम पत्र मामले जो 4.58 लाख रूपये का है, करीब 2.00 लाख रूपये की वसूली की गयी है। इसके अलावे बाकी मामले की अगली सुनवाई 18.12.2012 को रखा गया है।

14.7 जिले में राजस्व संग्रहण की स्थिति ठीक नहीं है। बिलिंग एजेन्सी का कार्य ठीक नहीं रहने के कारण विद्युत आपूर्त्ति की तुलना में विपत्रीकरण कम हो रहा है। राजस्व संग्रहण के टारगेट 11.48 करोड़ के विरूद्ध 7.92 करोड़ रूपये का राजस्व संग्रह हुआ है। सरकारी विभागों को विद्युत विपत्र भुगतान हेतु करीब 329 लाख रूपये आवंटन मिला था जिसके विरूद्ध 282.58 लाख रूपये का भुगतान हो चुका है।

14.8 जिले में ROW की कोई समस्या नहीं है।

14.9 भूमि अर्जन की स्थितिः के.बी.यू.एन.एल. के ऐश डाईक के 257.97 एकड़ जमीन का मुआवजा का भुगतान कर दिया गया है, शेष बचे जमीन के मुआवजे का पैसा कोर्ट में ही जमा करा दिया जायगा। ऐश पाईप कॉरिडोर के लिए जमीन का 38 प्रतिशत मुआवजे का भुगतान करा दिया गया है। स्थानीय विधायक द्वारा आश्वासन दिया गया है कि एक सप्ताह में शेष बचे हुए लोगों को मुआवजा हेतु ले आया जायगा। मेक–अप वाटर कॉरिडोर हेतु धमौली रामनाथ के जमीन अधिग्रहण हेतु धारा–4 के अन्तर्गत प्रस्ताव 14.11.2012 को भेज दिया गया है। कसबा कॉटी मौजा के जमीन अधिग्रहण से संबंधित अधिसूचना प्रकाशित हो गया है, 21 दिन पूरा हो जाने पर धारा–4 का प्रस्ताव भेज दिया जायगा। मुख्य सचिव द्वारा बताया गया कि के.बी.यू.एन.एल. का जो भी जमीन का अधिग्रहण हो गया है उसकी चहारदिवारी, पीलर गाड़ने का कार्य शीघ्र पूरा किया जाना है।

14.10 जिले में नाबार्ड फेज–XI के तहत 123 राजकीय नलकूपों को ऊर्जान्वित किया जाना है। 39 राजकीय नलकूपों को लघु जल संसाधन विभाग को सौंप दिया गया है। 34 राजकीय नलकूप अभी ऊर्जान्वित नहीं किये गये हैं जिसे इस माह ऊर्जान्वित कर दिया जायगा।

14.11 मोतीपुर झील परिसर का एक ट्रान्सफॉरमर खराब है जिसे बदले जाने की आवश्यकता है।

14.12 05 एच.टी.उपभोक्ताओं का विद्युत भार चेक किया गया। एक एच.टी. उपभोक्ता के यहाँ स्वीकृत भार से अधिक विद्युत भार का उपयोग किया जा रहा था। 05 एल.टी. उपभोक्ताओं का विद्युत भार चेक किया गया। मुख्य सचिव द्वारा निदेश दिया गया कि random check लगातार किया जाना है।

14.13 पूर्ववर्त्ती विद्युत बोर्ड के जमीन एवं भवनों का शीघ्र पुनर्मूल्यांकन कर रिपोर्ट भेज दिया जायगा।

15. पश्चिम चम्पारण जिलाः

15.1 ग्रामीण क्षेत्रों में सिंचाई हेतु निर्धारित अवधि में बिजली की आपूर्त्ति हो रही है।

15.2 जिले में 42 वितरण ट्रान्सफॉरमर खराब है। मुख्य सचिव द्वारा निदेश दिया गया कि शहरी क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जानी है।

15.3 रिकंडक्टरिंग हेतु दुर्घटना संभावित जगहों को चिन्हित किया जा चुका है। रिकंडक्टरिंग हेतु तार पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। Fabricated items की कमी के कारण रिकंडक्टरिंग की पग्रति धीमी है।

15.4 28 एल.टी. उपभोक्ताओं के यहाँ निरीक्षण के दरम्यान अधिक विद्युत भार का उपभोग करते पाया गया। विद्युत विपत्र में सुधार किया गया तथा वसूली की कार्रवाई की जा रही है। आठ व्यक्तियों पर बिजली चोरी के विरूद्ध एफ.आई.आर. किया गया है।

15.5 पता अधूरा रहने के कारण 16 नीलाम पत्र मामले में नोटिश तामिल नहीं किया जा सका है। दो नीलाम पत्र मामले में वारंट जारी किया गया है।

15.6 समाहरणालय का विद्युत विपत्र का भुगतान कर दिया गया है। प्रखंड कार्यालयों का विद्युत विपत्र का भुगतान शीघ्र करा दिया जायगा। लघु जल संसाधन विभाग के विद्युत विपत्र का सत्यापन हो गया है।

15.7 ए.डी.बी. योजना के अन्तर्गत ठकराहा ग्रीड सब–स्टेशन हेतु निजी जमीन का अधिग्रहण का कार्य पूरा हो गया है, दिनांक 17.12.2012 तक दखल–कब्जा दिला दिया जायगा।

15.8 बी.एस.पी.एच.सी.एल. के जमीन का 06 स्थानों पर अतिक्रमण कर लिया गया था। 05 जगहों पर अतिक्रमण हटा दिया गया है। अभी भी एक जगह अतिक्रमित है जिसे शीघ्र दूर कर दिया जायगा।

15.9 जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि पूर्ववर्त्ती बिहार राज्य विद्युत बोर्ड के जमीन एवं भवनों का, संचरण से संबंधित जमीन को छोड़, पुनर्मूल्याकंन हो गया है। संचरण से संबंधित जमीन एवं भवनों की विवरणी प्राप्त कराया जाना है तत्पश्चात् उसका भी पुनर्मूल्याकंन कर रिपोर्ट भेज दिया जायगा।

15.10 जिले में नाबार्ड फेज–XI के तहत 102 राजकीय नलकूपों को ऊर्जान्वित किया जाना है। एक राजकीय नलकूप को ऊर्जान्वित किया गया है जिसका संयुक्त सत्यापन हो गया है।

15.11 दो जगहों पर पुराने नलकूपों के ट्रान्सफॉरमर की चोरी एवं खराब होने के कारण समस्या है।

15.12 पी.एच.ई.डी. के जलापूर्त्ति योजना के एच.टी. लाईन के तार को बदले जाने की आवश्यकता है।

15.13 राजीव गाँधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत लगाये गये 16/25 के.वी.ए. के 107 ट्रान्सफॉरमर खराब हैं जो वारण्टी पिरियड में खराब हुआ है। इसके बदले जाने की आवश्यकता है।

16. पूर्वी चम्पारण जिलाः

16.1 जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में सिंचाई हेतु निर्धारित अवधि में 04 घण्टा बिजली की आपूर्त्ति हो रही है।

16.2 जिले में 37 वितरण ट्रान्सफॉरमर खराब है जिसे बदले जाने की आवश्यकता है।

16.3 मोतीहारी शहरी क्षेत्र में प्राथमिकता के आधार पर रिकंडक्टरिंग का कार्य कराया जा रहा है।

16.4 बिजली चोरी रोके जाने हेतु छापेमारी का अभियान चलाया गया। 52 एफ.आई.आर. हुआ है।

16.5 अरेराज में 03 कि0मी0 तार काट लिया गया है। एफ.आई.आर. दर्ज किया जा चुका है, चार्ज–शीट अभी नहीं हुआ है।

16.6 20 एच.टी.उपभोक्तओं के विरूद्ध नीलाम पत्र मामले दर्ज है इनमें से कुछ कम्पनी/फैक्ट्री बंद हो गये हैं।

16.7 जिले के नौ प्रखंडों में पावर सब–सटेशन के निर्माण हेतु जमीन चिन्हित कर लिया गया है।

16.8 400/220 के.वी. सुपर ग्रीड सब–स्टेशन के निर्माण हेतु संग्रामपुर में 50 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया जाना है। इसकी अधियाचना अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है।

16.9 जिले में नाबार्ड फेज–XI के तहत 123 राजकीय नलकूपों को ऊर्जान्वित किया जाना है। अभीतक मात्र 16 राजकीय नलकूपों को ऊर्जान्वित किया गया है। कार्यरत एजेन्सी का performance ठीक नहीं है। सख्त कार्रवाई की जानी है।

16.10 जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि मीटर रिडिंग नहीं होने के कारण billing efficiency ठीक नहीं है। जिलाधिकारी को यह भी निदेश दिया गया कि मीटर

रिडिंग में कैसे सुधार लाया जाय इस संबंध में पावर होल्डिंग कम्पनी के क्षेत्रीय पदाधिकारियों के साथ बैठक कर एक रिपोर्ट मुख्य सचिव को भेजा जाना है।

16.11 एक पुराने नलकूप का ट्रान्सफॉरमर खराब है जिसे बदला जाना आवश्यक है।

17. सीतामढ़ी जिलाः

17.1 ग्रामीण क्षेत्रों में सिंचाई हेतु निर्धारित अवधि में चार घण्टा बिजली की आपूर्त्ति हो रही है।

17.2 जिले में 40 वितरण ट्रान्सफॉरमर खराब है जिसे शीघ्र बदला जाना आवश्यक है। सीतामढ़ी में टी.आर.डब्ल्यू. नहीं रहने के कारण खराब ट्रान्सफॉरमर को बदले जाने हेतु मुजफ्फरपुर पर निर्भर रहना पड़ता है। जिलाधिकारी द्वारा अनुरोध किया गया कि सीतामढ़ी में एक टी.आर.डब्ल्यू. की स्थापना किया जाय।

17.3 सीतामढ़ी ग्रीड सब–स्टेशन में 50 एम.वी.ए. का पावर ट्रान्सफॉरमर लगा दिया गया है तथा जिसे शीघ्र चार्ज कर दिया जायगा।

17.4 21 परिसरों का निरीक्षण किया गया। धारा 135 के तहत 21 लोगों पर एफ.आई.आर. दर्ज किया गया है।

17.5 जिले में विद्युत विपत्र के मद में 145 करोड़ रूपये का बकाया है। राजस्व संग्रहण 45 लाख रूपया मासिक है। सरकारी विभागों के यहाँ करीब 03 करोड़ रूपया विद्युत विपत्र का बकाया है जिसमें से कुछ निधि का आवंटन प्राप्त हुआ है जिसका भुगतान शीघ्र करा दिया जायगा। सचिव (ऊर्जा) द्वारा मासिक राजस्व संग्रहण पर गंभीर चिंता व्यक्त की गयी तथा कहा गया कि बिजली आपूर्त्ति की तुलना में राजस्व संग्रहण बहुत ही कम है। राजस्व संग्रहण पर विशेष जोर देने की आवश्यकता है। मुख्य सचिव द्वारा निदेश दिया गया कि जिन उपभोक्ताओं के यहाँ बिजली का बकाया है उनका बिजली आपूर्त्ति नियमानुसार बंद किया जाना है। यदि अवैध रूप से बिजली जोड़ लेते हैं तो उनके विरूद्ध एफ.आई.आर. करते हुए गिरफ्तारी की कार्रवाई निश्चित रूप से की जानी है।

17.6 जिले में चार जगहों पर ROW की समस्या थी जिसमें से तीन जगहों के ROW की समस्या का समाधान हो गया है। सुप्पी के ROW की समस्या का समाधान शीघ्र करा दिया जायगा।

17.7 परसौनी एवं बखरा में नये पावर सब–स्टेशन के निर्माण हेतु जमीन चिन्हित नहीं हो पाया है जिसे शीघ्र करा दिया जायगा।

17.8 जिले में नाबार्ड फेज–XI के तहत 104 राजकीय नलकूपों को ऊर्जान्वित किया जाना है। 62 राजकीय नलकूपों का संयुक्त सत्यापन हो गया है। 08 राजकीय नलकूप चालू स्थिति में है।

17.9 पी.एच.ई.डी. के मिनी वाटर सप्लाई का कार्य मेसर्स एस.पी.एम.एल. द्वारा किया जाना है। एजेन्सी द्वारा कार्य शुरू नहीं किया गया है।

18. शिवहर जिलाः

18.1 ग्रामीण क्षेत्रों में सिंचाई हेतु निर्धारित अवधि में 05 घंटा बिजली की आपूर्त्ति हो रही है।

18.2 जिले में 04 वितरण ट्रान्सफॉरमर (63 के.वी.ए. का दो एवं 100 के.वी.ए. का दो) खराब है।

18.3 दुर्घटनासंभावित जगहों को चिन्हित किया गया है तथा वहाँ रिकंडक्टरिंग का कार्य शुरू किया गया है।

18.4 बिजली चोरी के मामले में 09 एफ.आई.आर. किया गया है।

18.5 बिजली सामग्री एवं कंडक्टर की चोरी से संबंधित 06 एफ.आई.आर. किया गया है।

18.6 दो सर्टिफिकेट केस दर्ज है जिसकी सुनवाई हो रही है।

18.7 जिले में बिजली विपत्र का 12 करोड़ रूपया बकाया है। मासिक राजस्व संग्रहण 05 लाख रूपया है।

18.8 जिले के दो प्रखण्ड में नया पावर सब–स्टेशन का निर्माण किया जाना है। प्रखंड परिसर में पावर सब–स्टेशन हेतु जमीन उपलबध नहीं है।

18.9 जिलाधिकारी द्वारा शिवहर में विद्युत कार्यपालक अभियन्ता को पदस्थापित करने हेतु अनुरोध किया गया।

18.10 जिले में 10 कि.मी. रिकंडक्टरिंग का कार्य पूरा हो गया है। शेष 05 कि.मी. का रिकंडक्टरिंग कराया जाना है।

18.11 जिले में नाबार्ड फेज–XI के तहत 30 राजकीय नलकूपों को ऊर्जान्वित किया जाना है। 28 राजकीय नलकूपों का संयुक्त सत्यापन करा लिया गया है। 11 राजकीय नलकूप चालू है। 09 में विद्युत दोष एवं 02 में यांत्रिक दोष है।

18.12 जिले दो प्रखंड यथा डुमरी एवं पुरनहिया में नया पावर सब–स्टेशन का निर्माण किया जाना है। प्रखंड परिसर में जमीन उपलब्ध नहीं है।

19. बैशाली जिलाः

19.1 जिले में 35 वितरण ट्रान्सफॉरमर (63 के.वी.ए. का 17 एवं 100 के.वी.ए. का 18) खराब है जिसे शीघ्र बदले जाने की आवश्यकता है।

19.2 जिलाधिकारी द्वारा शहरी क्षेत्र में बिलिंग काउण्टर बढ़ाये जाने एवं स्टाफ बढ़ाये जाने की बात कही गयी।

19.3 जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि महत्वपूर्ण सड़कों पर शहर/देहात में पोल हटाने का कार्य संबंधित विभाग द्वारा कराया जाना है, बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी को सुपरविजन चार्ज का भुगतान किया जाता है। जिलाधिकारी द्वारा सुझाव दिया

गया कि इस कार्य को सम्पन्न कराने हेतु निधि बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी को उपलब्ध कराया जाना चाहिए।

19.4 जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि राघोपुर में तीन फेज विद्युत आपूर्त्ति नहीं हो पाया है। अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक, बी.एस.पी.एच.सी.एल. द्वारा बताया गया कि राघोपुर में तीन फेज विद्युत आपूर्त्ति हेतु प्रयास किया गया था, तार टूट गया था। तार की व्यवस्था कर एक सप्ताह के अन्दर कार्य करा दिया जायगा।

19.5 जिलाधिकारी द्वारा बताया गया अभी तक जनदाहा ग्रीड सब–स्टेशन चालू नहीं हो पाया है। अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक, बी.एस.पी.एच.सी.एल. द्वारा बताया गया कि जनदाहा ग्रीड सब–स्टेशन में कई बार चोरी की घटनाएँ हो चुकी है परन्तु अभीतक कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। पी.जी.सी.आई.एल. को बताया गया है कि शीघ्र 33 के. वी. लाईन की व्यवस्था करें। जिलाधिकारी ने आश्वस्त किया कि चोरी रोकने हेतु होमगार्ड एवं चौकीदार की ड्यिूटी लगायी जायगी।

19.6 राजस्व संग्रह पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। 105 एक लाख रूपये से अधिक बकाये वाले उपभोक्ता है उन पर कार्रवाई की जा रही है। बैंक एवं कुछ अन्य प्रतिष्ठानों की बिजली काटी गयी थी एवं 24 घण्टे के अन्दर भुगतान किया गया।

19.7 बिजली चोरी के विरूद्ध छापेमारी की जा रही है।

19.8 जिले में नाबार्ड फेज–XI के तहत 140 राजकीय नलकूपों को ऊर्जान्वित किया जाना है। 29 राजकीय नलकूपों को ऊर्जान्वित किया जा चुका है। 21 राजकीय नलकूप चालू स्थिति में है। 45 राजकीय नलकूपों का संयुक्त सत्यापन कराया गया है। 04 राजकीय नलकूपों को ऊर्जान्वित किये जाने में ROW की समस्या है। इनमें से एक जगह रैबिट वायर लगा देने से समस्या का समाधान हो जायगा। तीन जगहों पर alignment change करने से समस्या का समाधान हो जायगा।

20. सारण जिलाः

20.1 इन्सुलेटर एवं अन्य फैब्रिकेटेड मैटेरियल की कमी के कारण रिकंडक्टरिंग कार्य में प्रगति नहीं हो पा रहा है।

20.2 जिले में बिजली आपूर्त्ति की तुलना में billing efficiency का प्रतिशत बहुत कम है। जिले में मीटर रिडिंग एवं विपत्र वितरण की अनियमितताएँ हैं। सरकारी विभागों को भी विपत्र की आपूर्त्ति ठीक से नहीं की जाती है।

20.3 बिजली चोरी के विरूद्ध छापेमारी चलायी गयी जिसमें 14 एफ.आई.आर. किया गया। वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों पर भी छापेमारी किया गया।

20.4 जिले में 25 वितरण ट्रान्सफॉरमर खराब है जिसे शीघ्र बदले जाने की आवश्यकता है।

20.5 जिले में नाबार्ड फेज–XI के तहत 115 राजकीय नलकूपों को ऊर्जान्वित किया जाना है। एजेन्सी द्वारा अभीतक कार्य नहीं किया गया है। एजेन्सी के विरूद्ध सख्त कार्रवाई करने की आवश्यकता है। सचिव (ऊर्जा) द्वारा निदेश दिया गया कि बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लिमिटेड द्वारा नाबार्ड फेज–XI के राजकीय नलकूपों के ऊर्जान्वयन संबंधी कार्य करने वाले एजेन्सी जिसका performance ठीक नहीं है उस पर सख्त कार्रवाई करें।

20.6 25 पुराने राजकीय नलकूपों की सूची दी गयी थी जिसमें से एक को भी ऊर्जान्वित नहीं किया जा सका है।

20.7 जिले के चार प्रखंड में पावर सब–स्टेशन का निर्माण किया जाना है इनमें से तीन जगहों पर जमीन उपलब्ध करा दिया गया है तथा एक जगह जमीन चिन्हित किया जाना है।

20.8 जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में सिंचाई हेतु निर्धारित अवधि में लगभग 05 घण्टा बिजली की आपूर्त्ति हो रही है।

21. सीवान जिलाः

21.1 जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में सिंचाई हेतु निर्धारित अवधि में 05 घंटा बिजली की आपूर्त्ति हो रही है।

21.2 जिले में 29 वितरण ट्रान्सफॉरमर खराब है जिसे बदले जाने की आवश्यकता है।

21.3 जिले के 10 प्रखंडों में पावर सब–स्टेशन के निर्माण हेतु जमीन की आवश्यकता है। नौ प्रखंडों में सरकारी भूमि चिन्हित है एवं प्रस्ताव पर कार्रवाई विभिन्न स्तरों पर हो रही है। जिरादेई में जमीन चयन की प्रक्रिया में है।

21.4 जिले में नाबार्ड फेज–XI के तहत 98 राजकीय नलकूपों को ऊर्जान्वित किया जाना है। एजेन्सी द्वारा अभीतक कुछ भी कार्य नहीं किया गया है।

21.5 जिले में रिकंडक्टरिंग का कार्य प्रगति में है।

21.6 बिजली चोरी के विरूद्ध 38 एफ.आई.आर. हुआ है। नवम्बर,2012 में 10 एफ.आई.आर. हुआ है।

21.7 जिले में 3.3 करोड़ रूपये राजस्व कलेक्शन के टारगेट के विरूद्ध 1.75 करोड़ रूपये की वसूली की गयी है।

21.8 ग्रीड सब–स्टेशन की क्षमता 40 एम.वी.ए. है इसे बढ़ाकर 100 एम.वी.ए. किये जाने का अनुरोध जिलाधिकारी द्वारा किया गया। रघुनाथपुर पावर सब–स्टेशन में 05 एम.वी.ए. के पावर ट्रान्सफॉरमर की आवश्यकता बतायी गयी।

22. गोपालगंज जिलाः

22.1 जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में सिंचाई हेतु निर्धारित अवधि में लगभग तीन घण्टा बिजली की आपूर्त्ति हो रही है।

22.2 जिले में खराब वितरण ट्रान्सफॉरमर बदले जाने के कार्य में प्रगति नहीं है। अभी भी जिले में 29 वितरण ट्रान्सफॉरमर खराब है जिसे शीघ्र बदले जाने की आवश्यकता है।

22.3 जिले में 07 कि0मी0 11 के.वी. लाईन का रिकंडक्टरिंग का कार्य पूरा हो गया है। मीरगंज शहरी फीडर के लिए सामान उपलब्ध करा दिया गया तथा कार्य प्रगति पर है।

22.4 बिजली चोरी के विरूद्ध किये गये छापेमारी में धारा 135 के अंतर्गत 25 एवं धारा 126 के अंतर्गत 07 एफ0आई0आर0 दर्ज किया गया जिसमें 15 लाख रूपया जुर्माना हुआ है। तीन लाख रूपये की वसूली भी की गई।

22.5 झझवा पावर सब–स्टेशन के पावर ट्रांसफार्मर से तेल की चोरी की तीन– चार घटनाएं हुई हैं जिसके कारण पावर ट्रांसफार्मर खराब हो जाता है। इस पर प्रशासनिक कार्रवाई करने की आवश्यकता है।

22.6 बिलिंग एजेंसी G4S का performance ठीक नहीं है जिसके कारण राजस्व वसूली में प्रगति नहीं है। सरकारी विभागों के यहाँ 33 करोड़ बकाया है जिसका भुगतान निधि उपलब्ध होने पर किया जायेगा।

22.7 कटैया में पावर सबस्टेशन निर्माण हेतु सरकारी भूमि के हस्तांतरण हेतु प्रस्ताव भेज दिया गया है। थावे प्रखंड परिसर में जमीन उपलब्ध नहीं रहने के कारण निजी जमीन चिन्हित कर दिया गया है। विद्युत कार्यपालक अभियंता द्वारा अधियाचना भेजा जाना है।

22.8 जिले में नाबार्ड फेज–XI के तहत 90 राजकीय नलकूपों को ऊर्जान्वित किया जाना है। 13 ऊर्जान्वित राजकीय नलकूपों को लघु जल संसाधन विभाग को सौंप दिया गया है। 77 में कोई कार्य नहीं हुआ है।

22.9 पूर्ववर्त्ती बिहार राज्य विद्युत बोर्ड के जमीन का पुनर्मूल्यांकन हो गया है। भवन का पुनर्मूल्यांकन भवन विभाग से करवा कर रिपोर्ट शीघ्र भेज दिया जायगा।

22.10 मुख्य सचिव द्वारा जिलाधिकारी को निर्देश दिया गया कि यदि कोई विद्युत कार्यपालक अभियंता या सहायक विद्युत अभियंता बिना सूचना के अनुपस्थित पाये जाते हैं तो इसकी सूचना अध्यक्ष –सह– प्रबंध निदेशक, बी0एस0पी0एच0सी0एल एवं सचिव ऊर्जा को दी जानी है।

23. **अररिया जिलाः**

23.1 ग्रामीण क्षेत्रों में सिंचाई हेतु निर्धारित अवधि में विद्युत आपूर्त्ति हो रही है।

23.2 जिले में 10 वितरण ट्रांसफार्मर खराब हैं जिसे शीघ्र बदले जाने की आवश्यकता है।

23.3 विद्युत चोरी के विरूद्ध की गई छापेमारी के दौरान 05 एफ0आई0आर0 दर्ज कियाा गया है। 06 लाख रूपये की वसूली हुई है।

23.4 जिले में 40 प्रतिशत बिलिंग हो पाया है। सही बिलिंग नहीं होने के कारण राजस्व की हानि हो रही है। गलत बिलिंग का Rectification समय पर नहीं हो रहा है।

23.5 बकायेदारों का विद्युत संबंध विच्छेद नहीं हो पा रहा है, इस कार्य में तेजी लायी जायगी।

23.6 सर्टिफिकेट केस नाम एवं पता सही नहीं होने के कारण कार्रवाई नहीं हो पा रही है।

23.7 जिले में नाबार्ड फेज–XI के तहत 38 राजकीय नलकूपों को ऊर्जान्वित किया जाना है। 17 राजकीय नलकूप लघु जल संसाधन विभाग को सौंप दिया गया है। शेष 21 राजकीय नलकूपों में से 16 में विद्युत कार्य किया जाना शेष है एवं 05 में मोटर नहीं है।

23.8 PHED के 15 जलापूर्त्ति पम्पों में से 09 चालू है तथा 06 लम्बित है।

23.9 पूर्ववर्त्ती बिहार राज्य विद्युत बोर्ड के जमीन का पुनर्मूल्यांकन हो गया है। भवन का पुनर्मूल्यांकन भवन विभाग से शीघ्र करवा लिया जायगा।

23.10 ब्रेडा द्वारा सौर क्रांति योजना शुरू की गई है। जिलाधिकारी को इसकी कार्य योजना बनाकर भेजने के लिए कहा गया।

24. कटिहार जिलाः

24.1 जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में सिंचाई हेतु निर्धारित अवधि में अमदाबाद को छोड़कर, 05 घंटा बिजली आपूर्त्ति हो रही है।

24.2 जिले में 05 वितरण ट्रान्सफॉरमर खराब है जिसे शीघ्र बदले जाने की आवश्यकता है।

24.3 समेली प्रखंड में पावर सब स्टेशन के निर्माण हेतु सरकारी जमीन उपलब्ध नहीं है। रैयती जमीन चिन्हित कर लिया गया है एवं दिनांक 17.12.2012 तक भू अर्जन हेतु प्रस्ताव भेज दिया जायगा।

24.4 जिले में नाबार्ड फेज–XI के तहत 54 राजकीय नलकूपों को ऊर्जान्वित किया जाना है। 19 राजकीय नलकूप ऊर्जान्वित कर दिया गया है। इस माह में चार और राजकीय नलकूपों को ऊर्जान्वित कर दिया जायगा। बरारी में लो–वोल्टेज की समस्या थी जिसे दूर कर दिया गया है।

24.5 पूर्ववर्त्ती बिहार राज्य विद्युत बोर्ड के जमीन एवं मकान का पुनर्मूल्यांकन कर अगले एक सप्ताह में भेज दिया जायगा।

24.6 अमदाबाद का विद्युतीकरण मई, 2013 तक राजीव गाँधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के तहत करा दिया जायगा।

24.7 जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि 4 जगहों पर पावर सब–स्टेशन के निर्माण हेतु जमीन का हस्तानान्तरण कर के भेज दिया गया है परन्तु पावर सब–स्टेशन के निर्माण की प्रक्रिया शुरू नहीं की गयी है।

25. पूर्णियाँ जिलाः

25.1 जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में सिंचाई हेतु निर्धारित अवधि में 05 घंटा बिजली की आपूर्त्ति हो रही है।

25.2 जिले में 03 वितरण ट्रान्सफॉरमर खराब है जिसे शीघ्र बदला जाना है।

25.3 जिले में 24 कि0मी0 रिकंडक्टरिंग का कार्य हुआ है।

25.4 पिछले माह जिले में बिजली चोरी के विरूद्ध कोई छापेमारी नहीं हुआ है। जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि पूर्णियाँ के विद्युत कार्यपालक अभियन्ता काफी सुस्त हैं इन्हें मुख्यालय से चेतावनी दी जानी है।

25.5 सर्टिफिकेट केस के 25 मामले को फास्ट ट्रैक पर कार्रवाई हेतु रख दिया गया है।

25.6 Billing efficiency 44 प्रतिशत एवं Collection efficiency 76 प्रतिशत है।

25.7 220 के0वी0 पूर्णियाँ–मधेपुरा लाईन में सात जगहों पर ROW की समस्या है। जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि कार्य शुरू होते ही सभी ROW की समस्या का समाधान करा दिया जायगा। निदेशक (संचरण), बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लि0 द्वारा बताया गया कि एक सप्ताह के अन्दर पावर ग्रीड द्वारा कार्य शुरू कर दिया जायगा।

25.8 जिले के 09 प्रखंडों में पावर सब–स्टेशन के निर्माण हेतु जमीन की आवश्यकता है। दो जगहों पर जमीन चिन्हित कर लिया गया है। शेष 07 जगहों पर जमीन 10 दिनों के अन्दर में चिन्हित कर लिया जायगा।

25.9 पूर्ववर्त्ती बिहार राज्य विद्युत बोर्ड के जमीन एवं भवन का पुनर्मूल्यांकन लम्बित है, इसे शीघ्र कर भेज दिया जायगा।

25.10 जिले में नाबार्ड फेज–XI के तहत 51 राजकीय नलकूपों को ऊर्जान्वित किया जाना है। 39 राजकीय नलकूपों को ऊर्जान्वित कर दिया गया है। 36 राजकीय नलकूपों का संयुक्त सत्यापन करा लिया गया है जिसमें से 21 चालू स्थिति में है।

26. किशनगंज जिलाः

26.1 जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में सिंचाई हेतु निर्धारित अवधि में 05 घंटा बिजली की आपूर्त्ति हो रही है।

26.2 जिले में कोई भी वितरण ट्रान्सफॉरमर खराब नहीं है।

26.3 जिले में रिकंडक्टरिंग का कार्य कर रहे एजेन्सी का भुगतान लम्बित रहने के कारण कार्य बाधित है।

26.4 विद्युत चोरी के खिलाफ चलाये गये छापेमारी में 08 एफ.आई.आर. किया गया है।

26.5 Billing efficiency 35 प्रतिशत एवं Collection efficiency 32 प्रतिशत है।

26.6 जिले में नाबार्ड फेज–XI के कार्य में कोई प्रगति नहीं है। एजेन्सी द्वारा 150 पोल गिराया गया है एवं शीघ्र ही राजकीय नलकूपों के ऊर्जान्वयन का कार्य शुरू कर दिया जायगा।

26.7 जिले में कोई ROW की समस्या नहीं है।

26.8 कोचाधामन प्रंखड परिसर में पावर सब स्टेशन निर्माण हेतु जमीन उपलब्ध है। इस संबंध में प्रस्ताव अंचलाधिकारी द्वारा भेजा जाना है।

27. दरभंगा जिलाः

27.1 जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में सिंचाई हेतु निर्धारित अवधि में 05 घंटा बिजली की आपूर्त्ति हो रही है।

27.2 जिले में 33 वितरण ट्रान्सफॉरमर खराब है जिसे शीघ्र बदले जाने की आवश्यकता है। जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि टी.आर.डब्ल्यू. से सप्ताह में एक दिन ट्रान्सफॉरमर की आपूर्त्ति हेतु निर्धारित है उसी दिन मात्र तीन ट्रान्सफॉरमर मिलता है जिसके कारण खराब ट्रान्सफॉर को समय पर नहीं बदला जा रहा है। जिलाधिकारी ने टी.आर.डब्ल्यू. की क्षमता बढ़ाये जाने का अनुरोध किया।

27.3 जिले में करीब 144 करोड़ राजस्व बकाया के विरूद्ध मात्र 11 करोड़ का ही सर्टिफिकेट केस किया गया है तथा जो सर्टिफिकेट केस दर्ज भी किया गया है उसमें से अधिकतर मामलों में सही पता नहीं होने के कारण कार्रवाई नहीं हो पा रहा है। जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि दो व्यक्तियों के विरूद्ध body warrant निर्गत कर पकड़ा गया था। गिरफ्तारी के उपरान्त ज्ञात हुआ कि उनके द्वारा बकाये राशि का भुगतान कर दिया गया है। विद्युत कार्यालय में रजिस्टर–9 उपलब्ध नहीं है जबतक रजिस्टर–9 नहीं बनेगा तब तक सर्टिफिकेट केस ठीक से नहीं चल पायगा।

27.4 जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि शहरी क्षेत्र में लगभग 20 प्रतिशत मीटर रिडिंग तथा देहाती क्षेत्र में लगभग 10 प्रतिशत मीटर रिडिंग हो रहा है।

27.5 जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि 3–4 दिनों में गंगवारा के जमीन पर दखल–कब्जा दिला दिया जायगा।

28. मधुबनी जिलाः

28.1 जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में सिंचाई हेतु निर्धारित अवधि में 04 घंटा बिजली की आपूर्त्ति हो रही है।

28.2 जिले में नाबार्ड फेज–XI के तहत 100 राजकीय नलकूपों को ऊर्जान्वित किया जाना है। 64 राजकीय नलकूपों को ऊर्जान्वित किया जा चुका है। 53 राजकीय नलकूपों का संयुक्त सत्यापन करा लिया गया है जिसमें से 18 राजकीय नलकूप

चालू स्थिति में है। 33 राजकीय नलकूप में विद्युत दोष एवं दो में यांत्रिक दोष है। निदेश दिया गया कि संबंधित विभाग से दोष का निराकरण कराया जाना है। अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक, बी.एस.पी.एच.सी.एल. द्वारा बताया गया कि गोयथ (घोघरडीहा प्रखंड) एवं सुरियाही (फुलपरास प्रखंड) के राजकीय नलकूप का कोई trace नहीं है, इसका पता कर शीघ्र बताया जाना है।

28.3 जिले में 31 वितरण ट्रान्सफॉरमर खराब है जिसे शीघ्र बदला जाना है।

28.4 जिले में रिकंडक्टरिंग का कार्य प्रगति पर है।

28.5 जिले में विद्युत चोरी के विरूद्ध अभी छापेमारी शुरू नहीं किया गया है। छापेमारी की योजना बना ली गयी है तथा इस माह से छापेमारी शुरू कर दिया जायगा। जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि पावर होल्डिंग कम्पनी के विद्युत कार्यपालक अभियन्ता या अन्य कोई पदाधिकारी द्वारा विद्युत चोरी के विरूद्ध छापेमारी में कोई दिलचस्पी नहीं ली जाती है। जिलाधिकारी को निदेश दिया गया कि वैसे पदाधिकारियों के संबंध में अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक, बी.एस.पी.एच.सी.एल. तथा सचिव (ऊर्जा) को बताया जाना है।

28.6 जिले के कुशेश्वरस्थान एवं किरतपुर प्रखंड में पावर सब–स्टेशन के निर्माण हेतु क्रमशः सरकारी एवं निजी भूमि चिन्हित कर लिया गया है।

28.7 जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि श्री गणेश चौधरी, विद्युत कार्यपालक अभियन्ता, मधुबनी को कार्य से संबंधित कोई भी जानकारी नहीं रहती है।

28.8 पूर्ववर्त्ती बिहार राज्य विद्युत बोर्ड के जमीन एवं भवन की विवरणी प्राप्त नहीं हुई है, विवरणी प्राप्त होते ही पुनर्मूल्यांकन कर रिपोर्ट शीघ्र भेज दिया जायगा।

29. समस्तीपुर जिलाः

29.1 जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में सिंचाई हेतु निर्धारित अवधि में बिजली की आपूर्त्ति की जा रही है।

29.2 जिले में खराब ट्रान्सफॉरमर को बदले जाने हेतु मुजफ्फरपुर टी.आर.डब्ल्यू. द्वारा सप्ताह में एक दिन निर्धारित किया गया उसी दिन वितरण ट्रान्सफॉरमर मिलता है। नया वितरण ट्रान्सफॉरमर की भी कमी है।

29.3 जिले के शहरी एवं देहाती क्षेत्रों के उपभोक्ताओं के यहाँ मीटर अधिष्ठापित नहीं है। अतः मीटर अधिष्ठापन के कार्य में तेजी लाने की आवश्यकता है।

29.4 जिले में विद्युत चोरी के विरूद्ध छापेमारी में धारा–135 के तहत 18 एवं धारा–126 के तहत 11 मामला दर्ज किया गया है तथा 11.00 लाख रूपये की वसूली भी की गयी है।

29.5 जिले में नाबार्ड फेज–XI के तहत 128 राजकीय नलकूपों को ऊर्जान्वित किया जाना है। 86 राजकीय नलकूपों को ऊर्जान्वित किया जा चुका है। 51 राजकीय नलकूपों का संयुक्त सत्यापन करा लिया गया है जिसमें से 22 चालू स्थिति में है।

29.6 जिले के मोहनपुर प्रखंड में पावर सब–स्टेशन के निर्माण हेतु भूमि अधिग्रहण की आवश्यकता नहीं होगी क्योंकि ग्रामीण द्वारा जमीन दान में दिया जा रहा है।

29.7 पूर्ववर्त्ती बिहार राज्य विद्युत बोर्ड के जमीन एवं भवन का पुनर्मूल्यांकन एक सप्ताह में कर के भेज दिया जायगा।

30. सहरसा जिलाः

30.1 जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में सिंचाई हेतु निर्धारित अवधि में 05 घण्टा बिजली की आपूर्त्ति की जा रही है।

30.2 जिले में 10 वितरण ट्रान्सफॉरमर खराब है जिसे शीघ्र बदले जाने की आवश्यकता है।

30.3 19 विद्युत उपभोक्ताओं के परिसर में छापेमारी की गयी जिसमें से 11 व्यक्तियों के विरूद्ध एफ.आई.आर. दर्ज किया गया।

30.4 जिले में बिजली आपूर्त्ति की तुलना में बहुत कम विपत्रीकरण हो रहा है। इसमें सुधार लाने की आवश्यकता है।

30.5 जिले में 291 सर्टिफिकेट केस दर्ज है जिसकी समीक्षा की जा रही है।

30.6 जिले में पावर सब–स्टेशन हेतु जमीन की आवश्यकता है जिसमें से बनमा इटहरी का जमीन hand over कर दिया गया है। पतरघाट का जमीन रकम मिल जाने पर hand over कर दिया जायगा।

30.7 सोनबरसा के ग्रीड सब–स्टेशन के जमीन का पेमेन्ट कॉमर्शियल रेट पर तय करने हेतु भू–स्वामियों द्वारा कहा जा रहा है। जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि भू–स्वामियों को समय दिया गया है यदि वे पैसा नहीं लेते हैं तो पैसा कोर्ट में जमा कर दिया जायगा।

31. मधेपुरा जिलाः

31.1 जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में सिंचाई हेतु निर्धारित अवधि में तीन घंटा बिजली की आपूर्त्ति हो रही है। जिलाधिकारी द्वारा विद्युत आपूर्त्ति बढ़ाये जाने की आवश्यकता बतायी गयी।

31.2 जिले में 09 वितरण ट्रान्सफॉरमर खराब है जिसे शीघ्र बदले जाने की आवश्यकता है।

31.3 जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि दुर्घटनासंभावित जगहों को चिन्हित कर दिया गया है एवं प्राथमिकता के आधार पर रिकंडक्टरिंग का कार्य कराया जा रहा है।

31.4 जिले में विद्युत आपूर्त्ति की तुलना में विपत्रीकरण बहुत कम हो रहा है।

31.5 जिले में ROW एवं जमीन अतिक्रमण का कोई मामला नहीं है।

31.6 जिले में राजीव गाँधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के तहत लगाये गये 16/25 के. वी.ए. का 95 से ज्यादा वितरण ट्रान्सफॉरमर खराब है जिसे मेसर्स टेक्नो कम्पनी द्वारा नहीं बदला गया है।

31.7 जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि जबतक रजिस्टर–9 एवं रजिस्टर–10 का मिलान नहीं कर लिया जाता है तबतक सर्टिफिकेट केस में कोई कार्रवाई संभव नहीं है।

31.8 जिले में विद्युत चोरी के विरूद्ध की गयी छापेमारी में 06 एफ.आई.आर. दर्ज किया गया है।

31.9 जिले में नाबार्ड फेज–XI के तहत 45 राजकीय नलकूपों को ऊर्जान्वित किया जाना है। 04 राजकीय नलकूपों को ऊर्जान्वित किया जा चुका है। राजकीय नलकूपों के कार्य में कोई प्रगति नहीं है।

32. सुपौल जिलाः

32.1 जिले के उप विकास आयुक्त द्वारा बताया गया कि ग्रामीण क्षेत्रों में सिंचाई हेतु निर्धारित अवधि में साढ़े चार घण्टा बिजली की आपूर्त्ति हो रहा है।

32.2 जिले में 09 वितरण ट्रान्सफॉरमर खराब है जिसे शीघ्र बदले जाने की आवश्यकता है।

32.3 विद्युत चोरी के विरूद्ध चलाये गये छापेमारी में धारा–135 के तहत 05 एवं धारा–126 के तहत 04 एफ.आई.आर. दर्ज कराया गया है। 7.34 लाख रूपये के विरूद्ध 2.30 लाख रूपये की वसूली भी की गयी है।

32.4 विद्युत सामग्रियों एवं तार की चोरी के तीन मामले दर्ज किये गये हैं। निदेश दिया गया कि जिलाधिकारी आरक्षी अधीक्षक से इस संबंध में बात कर दर्ज मामलों में त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करवायें।

32.5 जिले में 181 नीलाम पत्र मामले दर्ज है। रजिस्टर–9 एवं रजिस्टर–10 का मिलान नहीं होने के कारण मामला लम्बित है। नीलाम पत्र पदाधिकारी के साथ समन्वय कर इसका मिलान करने हेतु निदेश दे दिया गया है। बड़े बकायेदारों की सूची बना ली गयी है। केस दर्ज करने हेतु विद्युत कार्यपालक अभियन्ता द्वारा पैसे की माँग की गयी है। पैसा मिल जाने के उपरान्त बड़े बकायेदारों के विरूद्ध नीलाम पत्र मामला दर्ज कराया जायगा।

32.6 जिले में बिजली आपूर्त्ति की तुलना में 35 प्रतिशत ही विपत्रीकरण हो रहा है।

32.7 जिले में नाबार्ड फेज–XI के तहत 31 राजकीय नलकूपों को ऊर्जान्वित किया जाना है। 15 राजकीय नलकूपों को ऊर्जान्वित किया जा चुका है। 08 राजकीय नलकूल चालू स्थिति में है तथा 07 राजकीय नलकूपों में मोटर अधिष्ठापित नहीं है।

33. पटना जिलाः

33.1 जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में सिंचाई हेतु निर्धारित अवधि में विद्युत की आपूर्त्ति हो रही है। जिले में विद्युत आपूर्त्ति की कोई समस्या नहीं है।

33.2 जिले में 28 वितरण ट्रान्सफॉरमर खराब है जो बदले जाने की प्रक्रिया में है।

33.3 जिले में सम्पतचक का भूमि विवाद का समाधान करा दिया गया है। बिहटा में चरवाहा विद्यालय की जमीन का हस्तानान्तरण की प्रक्रिया शुरू कर दी गयी है। सम्पतचक के दो गाँव का प्रस्ताव भेजा जाना था जिसमें से एक गाँव का प्रस्ताव भेज दिया गया तथा दूसरे का प्रस्ताव शीघ्र भेज दिया जायगा।

33.4 दो प्रंखड़ों में पावर सब–स्टेशन हेतु भूमि अधिग्रहण से संबंधित अधियाचना भेजा जाना है।

33.5 जिले में नाबार्ड फेज–XI के तहत 196 राजकीय नलकूपों को ऊर्जान्वित किया जाना है। 58 राजकीय नलकूपों को ऊर्जान्वित किया जा चुका है। राजकीय नलकूपों के ऊर्जान्वयन के एजेन्सी, विद्युत/लघु जल संसाधन विभाग के पदाधिकारियों के साथ समन्वय कर शीघ्र कार्य सम्पन्न कराया जाना है।

34. नालन्दा जिलाः

34.1 63 के.वी.ए. के खराब वितरण ट्रान्सफॉरमर को बदले जाने में थोड़ी समस्या हैं। जिले में अभी 63 के.वी.ए. का 10 वितरण ट्रान्सफॉरमर खराब है। जिलाधिकारी द्वारा अनुरोध किया गया कि 25 के.वी.ए. के खराब वितरण ट्रान्सफॉरमर की जगह 63 के. वी.ए. के वितरण ट्रान्सफॉरमर लगाया जाय।

34.2 पुराने राजकीय नलकूपों को ऊर्जान्वित किये जाने हेतु 05 पोल तक यानि 400 मीटर की दूरी तक का सर्वे कर के एक प्रस्ताव बी.एस.पी.एच.सी.एल. द्वारा ऊर्जा विभाग को भेजा जा रहा है।

34.3 जिले में नाबार्ड फेज–XI के कार्य में कोई प्रगति नहीं है। कार्यरत एजेन्सी मेसर्स सुप्रिम का performance ठीक नहीं है उसके विरूद्ध सख्त कार्रवाई करने की आवश्यकता है।

34.4 जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि पावर सब–सटेशन के निर्माण हेतु जमीन उपलब्ध करा दिया गया है। जहाँ हस्तानान्तरण की कार्रवाई की जानी है वह भी शीघ्र कर दिया जायगा।

34.5 जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि कतरीसराय एवं घोघराहा में पावर सब–स्टेशन चार्ज हो गया है। पेयजल की समस्या के कारण कठिनाई है। मुख्य सचिव द्वारा निदेश दिया गया कि शीघ्र पावर सब–स्टेशन में पेयजल की व्यवस्था करायी जाय।

34.6 जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि विपत्रीकरण की कमी के कारण राजस्व संग्रहण नहीं हो पा रहा है।

35. भोजपुर जिलाः

35.1 जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में सिंचाई हेतु निर्धारित अवधि में बिजली की आपूर्त्ति हो रही है।

35.2 जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि शहरी क्षेत्र में खराब वितरण ट्रान्सफॉरमर बदले जाने की कोई समस्या नहीं है तथा कोई वितरण ट्रान्सफॉरमर खराब नहीं है। ग्रामीण क्षेत्रों में 22 वितरण ट्रान्सफॉरमर खराब है।

35.3 पुराने एवं जर्जर तार बदले जाने के संबंध में टास्क फोर्स की बैठक में चर्चा की गयी थी तथा कुछ जगहों को चिन्हित भी किया गया है जहाँ प्राथमिकता के आधार पर रिकंडक्टरिंग का कार्य कराया जाना है। रिकंडक्टरिंग हेतु तार एवं अन्य सामान उपलब्ध है, पोल नहीं रहने के कारण कार्य बाधित है।

35.4 जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि माननीय मुख्यमंत्री द्वारा विकास यात्रा के दौरान चार ग्रामों का विद्युतीकरण करने का आश्वासन दिया गया था। चारों गाँव का पूर्ण विद्युतीकरण हेतु 56 पोल की आवश्यकता है।

35.5 जिले में नाबार्ड फेज–XI के तहत 106 राजकीय नलकूपों को ऊर्जान्वित किया जाना है। 27 राजकीय नलकूपों को लघु जल संसाधन विभाग को सौंप दिया गया है। 17 राजकीय नलकूपों को इस माह लघु जल संसाधन विभाग को सौंप दिया जायगा।

35.6 तीन पावर सब–स्टेशन के निर्माण हेतु भू–अर्जन का प्रस्ताव भेजा गया था जिसमें से एक प्रस्ताव पृच्छा के साथ लौटा दिया गया था, उसे rectify कर भेज दिया गया है।

35.7 जिले के सभी ROW की समस्या का समाधान करा दिया गया है।

36 रोहतास जिलाः

36.1 जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में सिंचाई हेतु निर्धारित अवधि में 05 घण्टा बिजली की आपूर्त्ति हो रही है। शहरी क्षेत्र में बिजली आपूर्त्ति में कुछ समस्या है।

36.2 जिले में रिकंडक्टरिंग का कार्य प्रगति में है।

36.3 जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि सासाराम शहर के पेयजल आपूर्त्ति हेतु डेडीकेटेड फीडर की आवश्यकता है। इसका प्राक्कलन बनाया गया जो लगभग दो करोड़ रूपये का है।

36.4 जिले में बिजली चोरी के विरूद्ध छापेमारी के दौरान 04 एफ.आई.आर.दर्ज कराया गया है। जिले में बिजली आपूर्त्ति की तुलना में राजस्व संग्रहण बहुत कम है जिसके लिए छापेमारी की काफी आवश्यकता है।

37. गया जिलाः

37.1 जिले में खराब वितरण ट्रान्सफॉरमर बदले जाने में काफी सुधार हुआ है। जिले में अभी मात्र दो वितरण ट्रान्सफॉरमर खराब है।

37.2 जिले में प्राथमिकता के आधार पर रिकंडक्टरिंग का कार्य शुरू कराया गया है।

37.3 जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि ब्रेकडाउन को ठीक करने में काफी समय लगता है इस पर विशेष ध्यान देने की आवश्कता है।

37.4 जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि जिले में नाबार्ड फेज–XI के कार्य में कोई प्रगति नहीं है। कार्यरत एजेन्सी के विरूद्ध सख्त कार्रवाई किये जाने की आवश्यकता है।

37.5 जिले में बिजली चोरी के विरूद्ध कराये गये छापेमारी के दौरान 18 एफ.आई.आर. दर्ज कराया गया है।

37.6 जिले में बिजली आपूर्त्ति की तुलना में राजस्व संग्रहणन की स्थिति बहुत खराब है।

38. औरंगाबाद जिलाः

38.1 जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में सिंचाई हेतु निर्धारित अवधि में 05 घण्टा बिजली की आपूर्त्ति हो रही है।

38.2 जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि जिले में खराब वितरण ट्रान्सफॉरमर बदले जाने की स्थिति में बहुत सुधार हुआ है। अभी जिले में 14 वितरण ट्रान्सफॉरमर खराब है जिसे बदले जाने की आवश्यकता है।

38.3 दाउदनगर शहर में विद्युत उपभोक्ताओं की संख्या अधिक है वहाँ एक अतिरिक्त 200 के.वी.ए. के वितरण ट्रान्सफॉरमर लगाये जाने की आवश्यकता है।

38.4 रिकंडक्टरिंग के लिए एक सप्ताह में प्राथमिकता तय कर दिया जायगा।

38.5 जिले में नाबार्ड फेज–XI के कार्य में अक्टूबर एवं नवम्बर,2012 में कोई प्रगति नहीं है।

38.6 जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि मीटर रिडिंग एजेन्सी के पास मानव–बल की कमी के कारण मीटर रिडिंग का कार्य नहीं हो पा रहा हे।

38.7 पूर्ववर्त्ती बिहार राज्य विद्युत बोर्ड के जमीन का पुनर्मूल्यांकन किस दर पर किया जाना है आवासीय या वाणिज्यिक। सचिव (ऊर्जा) द्वारा वाणिज्यिक दर पर पुनर्मूल्यांकन करने का निदेश दिया गया।

38.8 जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि जिले में विद्युत अभियन्ताओं का पदस्थापन कर दिया गया है, परन्तु स्टाफ की कमी को दूर किया जाना अतिआवश्यक है।

38.9 जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि डिहरा में पावर सब–स्टेशन के निर्माण हेतु सरकारी भूमि के हस्तानान्तरण का प्रस्ताव प्रमंडलीय आायुक्त, मगध प्रमंडल, गया को भेज दिया गया है।

38.10 जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि नबीनगर पावर जेनेरेटिंग कम्पनी लि0 की भूमि संबंधी सूचना समय–समय पर दी जाती रही है। वहाँ अभी fencing का कार्य शुरू नहीं हुआ है, एक सप्ताह में fencing का कार्य शुरू हो जायगा।

38.11 अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक, बी.एस.पी.एच.सी.एल. द्वारा बताया गया कि फेसर पावर सब–स्टेशन के 33 के.वी. लाईन में बार–बार चोरी हो रही है जिसके कारण पावर सब–स्टेशन चालू नहीं हो पा रहा है। रफीगंज थाना में एफ.आई.आर. दर्ज है। इस पर त्वरित कार्रवाई की आवश्यकता है। सचिव (ऊर्जा) द्वारा निदेश दिया गया कि बिजली लाईन का कंडक्टर या ट्रान्सफॉरमर की चोरी होती है तो निश्चित रूप से दोषी की पहचान कर सख्त कार्रवाई की जानी है।

39. नवादा जिलाः

39.1 रजौली अल्ट्रा मेगा पावर प्लान्ट (UMPP) हेतु 2400 एकड़ जमीन चिन्हित किया गया है।

39.2 बागी बरडिहा एवं रजौली में ग्रीड सब–स्टेशन हेतु भूमि चिन्हित किया जाना है।

39.3 पूर्ववर्त्ती बिहार राज्य विद्युत बोर्ड के जमीन एवं भवन का पुनर्मूल्यांकन कर शीघ्र भेज दिया जायगा।

39.4 जिले में नाबार्ड फेज–XI के तहत 39 राजकीय नलकूपों को ऊर्जान्वित किया जाना है। 18 राजकीय नलकूपों को ऊर्जान्वित किया जा चुका है।

39.5 गोबिन्दपुर पावर सब–स्टेशन के 33 के.वी. फतेहपुर लाईन में चोरी हो गयी है जिसके कारण पावर सब–सटेशन बंद है।

39.6 नवादा से रोह तक 11 के.वी. लाईन का रिकंडक्टरिंग हेतु सर्वेक्षण कराया जाना है।

39.7 जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में सिंचाई हेतु निर्धारित अवधि में 04 घंटा बिजली की आपूर्त्ति हो रही है।

40. अरवल जिलाः

40.1 जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि 06 माह से 3.16 एम.वी.ए. का पावर ट्रान्सफॉरमर खराब है जिसे अभी तक नहीं बदला गया है। बताया गया कि शकुराबाद से 05 एम.वी.ए. का पावर ट्रान्सफॉरमर आ गया है जिसे एक सप्ताह के अन्दर पी.जी. सी.आई.एल. द्वारा चालू कर दिया जायगा।

40.2 जिलाधिकारी द्वारा कलेर पावर सब–स्टेशन चालू कराये जाने के लिए कहा गया। अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक, बी.एस.पी.एच.सी.एल. द्वारा बताया गया कि कलेर लाईन में 10–12 बार चोरी हुई है। बताया गया कि राष्ट्रीय उच्च पथ (NH) के बगल से पी.जी.सी.आई.एल. को लाईन बनाने के लिए कहा गया है।

40.3 अरवल जिले में मात्र एक ही बिलिंग काउन्टर है जिसकी संख्या बढ़ाये जाने की आवश्यकता है।

40.4 जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि इस जिले में विद्युत कार्यपालक अभियन्ता का पद नहीं है। अभी एक नवनियुक्त सहायक विद्युत अभियन्ता को अरवल में पदस्थापित किया गया है।जिलाधिकारी द्वारा किसी अनुभवी सहायक विद्युत अभियन्ता को पदस्थापित करने हेतु अनुरोध किया गया।

41. मुँगेर जिलाः

41.1 जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में सिंचाई हेतु निर्धारित अवधि में 06 घंटा बिजली की आपूर्त्ति हो रही है।

41.2 जिले में नाबार्ड फेज–XI के तहत 08 राजकीय नलकूपों को ऊर्जान्वित किया जाना है। 04 राजकीय नलकूपों को ऊर्जान्वित हो गया है एवं शेष 04 राजकीय नलकूपों को 15 जनवरी, 2013 तक ऊर्जान्वित कर दिया जायगा।

41.3 जिले के टेटिया बम्बर प्रखंड में पावर सब–स्टेशन के निर्माण हेतु सरकारी जमीन चिन्हित कर लिया गया है। जमीन हस्तानान्तरण हेतु प्रस्ताव एक सप्ताह में भेज दिया जायगा।

41.4 जिले में ग्रामीण क्षेत्र का 02 वितरण ट्रान्सफॉरमर खराब है जिसे शीघ्र बदला जाना है।

41.5 जिले में विपत्रीकरण 60 प्रतिशत हो रहा है जिसके कारण राजस्व संग्रहण की स्थिति ठीक नहीं है।

41.6 जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि Semi Urban area में बिजली की चोरी के विरूद्ध छापेमारी की योजना बनायी गयी है।

41.7 पूर्ववर्त्ती बिहार राज्य विद्युत बोर्ड के जमीन एवं भवनों का पुनर्मूल्यांकन कराया जा रहा है एवं शीघ्र तत्संबंधी रिपोर्ट भेज दिया जायगा।

41.8 जिलाधिकारी द्वारा जिले का पावर मैप बना लिया गया है तथा data analysis कर रिपोर्ट भेज दिया जायगा।

41.9 जमालपुर ग्रीड सब–स्टेशन sufficient capacity का है परन्तु बिजली का आवंटन कम है। बिजली आंवटन बढ़ाये जाने की आवश्यकता है।

41.10 132 के.वी. डबल सर्किट कहलगाँव–सुलतानगंज–लखीसराय संचरण लाईन में ग्राम –इन्दरूख ग्राम में कई लोकेशन पर ROW की समस्या है। जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि इन्दरूख ग्राम के ROW की समस्या का समाधान हो जायगा।

42. शेखपुरा जिलाः

42.1 जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में सिंचाई हेतु निर्धारित अवधि में 08 घण्टा बिजली की आपूर्त्ति हो रही है।

42.2 जिले में 05 वितरण ट्रान्सफॉरमर खराब है जिसे शीघ्र बदले जाने की आवश्यकता है।

42.3 पावर सब–स्टेशन का 05 एम.वी.ए. पावर ट्रान्सफॉरमर खराब हो गया है। विद्युत अधीक्षण अभियन्ता, मुँगेर द्वारा बताया गया कि दो दिनों के अन्दर पावर ट्रान्सफॉरमर पहुँच जायगा।

42.4 ए0डी0बी0 सम्पोषित योजनान्तर्गत 132/33 के.वी. ग्रीड सब–स्टेशन, शेखपुरा के bay extension हेतु भूमि अर्जन संबंधित धारा–7/17 की स्वीकृति प्राप्त हो गयी है। सात दिनों के अन्दर भू–अर्जन की कार्रवाई पूरी कर ली जायगी।

42.5 कैला पावर सब–स्टेशन के निर्माण हेतु भू–अर्जन का प्रस्ताव राजस्व विभाग को भेज दिया गया था जो कुछ आपत्ति के साथ लौटा दिया गया है। एक सप्ताह में rectify कर पुनः प्रस्ताव राजस्व विभाग को भेज दिया जायगा।

42.6 जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि जिले में विद्युत विपत्र का वितरण उपभोक्ताओं के बीच नहीं करने के कारण विपत्र की राशि बढ़ती जाती है जिसके कारण उसके भुगतान में उपभोक्ताओं को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जिला प्रभारी प्रधान सचिव द्वारा अध्यक्ष–सह–प्रबन्ध निदेशक से जिले में विद्युत विपत्रीकरण के अतिरिक्त कर्मचारी पदस्थापित करने का अनुरोध किया गया।

42.7 जिले में नाबार्ड फेज–XI के तहत 16 राजकीय नलकूपों को ऊर्जान्वित किया जाना है। 13 राजकीय नलकूपों को ऊर्जान्वित हो गया है तथा लघु जल संसाधन विभाग को सौंप दिया गया है। शेष तीन जगहों पर पम्प हाउस नहीं बन पाया है।

43. बेगुसराय जिलाः

43.1 जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में सिंचाई हेतु निर्धारित अवधि में बरौनी विद्युत आपूर्त्ति प्रमंडल में बिजली की आपूर्त्ति ठीक है परन्तु बेगुसराय विद्युत आपूर्त्ति प्रमंडल में 04 घंटा बिजली की आपूर्त्ति हो रही है।

43.2 जिले के शहरी क्षेत्र में 04 एवं ग्रामीण क्षेत्र में 25 वितरण ट्रान्सफॉरमर खराब है जिसे शीघ्र बदले जाने की आवश्यकता है।

43.3 जिले में रिकंडक्टरिंग कराये जाने हेतु प्राथमिकता तय कर लिया गया है।

43.4 बिजली चोरी के विरूद्ध जिले में छापेमारी की जा रही है। एफ.आई.आर. भी दर्ज किया गया है तथा लगभग 5.00 लाख रूपया जुर्माना की वसूली की गयी है।

43.5 जिले में सर्वोच्च प्राथमिकता वाले नीलाम पत्र वाद पर कार्रवाई शुरू कर दी गयी है।

43.6 जिले के तीन प्रखंडों में पावर सब–स्टेशन हेतु जमीन की आवश्यकता है। गढ़पुरा पावर सब–स्टेशन हेतु सरकारी जमीन चिन्हित कर लिया गया है। छौडाही एवं मंसूरचक पावर सब–स्टेशन हेतु जमीन एक सप्ताह में चिन्हित कर लिया जायगा।

43.7 जिले में नाबार्ड फेज–XI के तहत 94 राजकीय नलकूपों को ऊर्जान्वित किया जाना है। 30 राजकीय नलकूपों को ऊर्जान्वित हो गया है।

43.8 जिले में ROW की समस्या का शीघ्र समाधान हेतु संबंधित अंचलाधिकारी को निर्देश दिया जा चुका है एवं शीघ्र ही ROW की समस्या का निराकरण करा दिया जायगा।

43.9 पूर्ववर्त्ती बिहार राज्य विद्युत बोर्ड के जमीन एवं भवनों का पुनर्मूल्यांकन दिसम्बर,2012 तक कर दिया जायगा।

43.10 जिले में मीटर रिडिंग एजेन्सी द्वारा मीटर रिडिंग नहीं करने के कारण अधिकतर विपत्रीकरण न्यूनतम खपत के आधार पर किया जा रहा है तथा विपत्र वितरण भी ठीक से नहीं किया जा रहा है।

43.11 जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि बी.टी.पी.एस. के पास टावर संख्या 87 का ROW की समस्या का समाधान श्री दशरथ निषाद से बात कर करा लिया जायगा।

43.12 जिले के प्रभारी प्रधान सचिव द्वारा बताया गया कि खराब वितरण ट्रान्सफॉरमर को बदलने हेतु वितरण ट्रान्सफॉरमर की आपूर्त्ति दरभंगा से की जाती है जिसके कारण समय ज्यादा लग जाता है। तेघड़ा पावर सब स्टेशन में 1.5 एम.वी.ए. का पावर ट्रान्सफॉरमर है। यहाँ अधिक शक्ति के पावर ट्रान्सफॉरमर की आवश्यकता है।

44. जमुई जिलाः

44.1 जिले में बिजली चोरी के विरूद्ध की गयी छापेमारी में 51 एफ.आई.आर. दर्ज किया गया है।

44.2 बरहट पावर सब–स्टेशन का चहारदिवारी, स्ट्रक्चर इत्यादि बना हुआ है, जिलाधिकारी द्वारा इसे चालू कराने का अनुरोध किया गया। अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक, बी.एस.पी.एच.सी.एल. द्वारा आश्वासन दिया गया कि इस पावर सब–स्टेशन का शेष कार्य जल्द पूरा करा लिया जायगा।

45. खगड़िया जिलाः

45.1 जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में सिंचाई हेतु निर्धारित अवधि में बिजली की आपूर्त्ति हो रही है। अलौली एवं बेलदौर प्रखंड में निर्धारित अवधि में 02 घण्टा ही बिजली की आपूर्त्ति की जा रही है।

45.2 जिले में 06 वितरण ट्रान्सफॉरमर खराब है जिसे शीघ्र बदले जाने की आवश्यकता है।

45.3 जिले में 52 कि0मी0 रिकंडक्टरिंग का कार्य किया गया है (11 के.वी. का 37 कि.मी. एवं एल.टी. लाईन का 15 कि.मी.)।

45.4 बिजली चोरी के विरूद्ध छापेमारी में 09 एफ.आई.आर. दर्ज किया गया है।

45.5 सर्टिफिकेट केस के मामले में रेकर्ड के अभाव में कार्रवाई नहीं हो रहा है।

45.6 जिले में नाबार्ड फेज–XI के तहत 11 राजकीय नलकूपों को ऊर्जान्वित किया जाना है। 02 राजकीय नलकूपों को ऊर्जान्वित किया जा चुका है। कार्यरत एजेन्सी द्वारा

कार्य शुरू कर दिया गया है। शीघ्र ही चार राजकीय नलकूपों को ऊर्जान्वित कर लघु जल संसाधन विभाग को सौप दिया जायगा।

46. लखीसराय जिलाः

46.1 जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में सिंचाई हेतु निर्धारित अवधि में साढ़े सात घण्टा बिजली की आपूर्त्ति हो रही है।

46.2 बड़हिया में बिजली चोरी के विरूद्ध 06 एफ.आई.आर. दर्ज कराया गया है एवं लगभग 04 लाख रूपये की वसूली की गयी है।

46.3 जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि कजरा पावर प्लान्ट हेतु 1018 एकड़ जमीन शीघ्र दे दिया जायगा। सरकारी जमीन का हस्तानान्तरण की कार्रवाई जल्द पूरी कर ली जायगी।

46.4 जिले में कोई भी वितरण ट्रान्सफॉरमर खराब नहीं है।

46.5 जिले में नाबार्ड फेज–XI के तहत 17 राजकीय नलकूपों को ऊर्जान्वित किया जाना है। 03 राजकीय नलकूपों को ऊर्जान्वित किया जा चुका है। 14 राजकीय नलकूपों को ऊर्जान्वित करने का कार्य प्रगति पर है। कार्यरत एजेन्सी द्वारा इस माह 08 राजकीय नलकूपों को ऊर्जान्वित किये जाने का लक्ष्य दिया गया है।

46.6 जिले में 3.5 कि.मी. रिकंडक्टरिंग का कार्य हो गया है। 75 कि.मी. में रिकंडक्टरिंग का कार्य कराया जाना शेष है।

46.7 ए.डी.बी. सम्पोषित योजनान्तर्गत लखीसराय 132 के.वी. bay हेतु भू–अर्जन से संबंधित धारा 4/16 की स्वीकृति हो गयी है। धारा 7/17 की कार्रवाई की जानी है।

46.8 132 के.वी. शेखपुरा–जमुई संचरण लाईन एवं 132 के.वी. डबल सर्किट कहलगाँव–सुलतानगंज–लखीसराय संचरण लाईन में कई लोकेशन पर ROW की गंभीर समस्या है। जिलाधिकारी द्वारा एक सप्ताह में ROW की समस्या का समाधान कराने की बात कही गयी।

47. भागलपुर जिलाः

47.1 जिले के ग्रामीण क्षेत्र में 09 वितरण ट्रान्सफॉरमर खराब है जिसे शीघ्र बदले जाने की आवश्यकता है। शहरी क्षेत्र में कोई भी वितरण ट्रान्सफॉरमर खराब नहीं है।

47.2 जिले में नाबार्ड फेज–XI के तहत 92 राजकीय नलकूपों को ऊर्जान्वित किया जाना है। 20 राजकीय नलकूपों को ऊर्जान्वित किया जा चुका है। शेष बचे हुए राजकीय नलकूपों को ऊर्जान्वित किये जाने के संबंध में कार्यरत एजेन्सी मेसर्स कैपिटल पावर से Action Plan ले लिया गया है।

47.3 जिले में 05 पावर सब–स्टेशन हेतु जमीन उपलब्ध करा दिया गया है।

47.4 पीरपैंती थर्मल पावर स्टेशन हेतु भू–अर्जन से संबंधित भूमि 05 गाँव का है इसमें से चार गाँव का जमीन मिल गया है। 1198 एकड़ जमीन में से 750 एकड़ जमीन हरिणकोल ग्राम का है। तीन दिनों के अन्दर में जमीन का दर तय कर दिया जायगा एवं पैसे के भुगतान के बाद जमीन सौंप दिया जायगा।

47.5 पूर्ववर्त्ती बिहार राज्य विद्युत बोर्ड के जमीन का पुनर्मूल्यांकन कर रिपोर्ट भेज दिया गया है।

47.6 132 के.वी. डबल सर्किट कहलगाँव–सुलतानगंज–लखीसराय संचरण लाईन में चार जगहों पर ROW की समस्या है। जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि एजेन्सी द्वारा जब काम शुरू किया जायगा उस समय ROW की समस्या का समाधान करा दिया जायगा। अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक, बी.एस.पी.एच.सी.एल. द्वारा निदेश दिया गया कि एजेन्सी जिलाधिकारी,भागलपुर से मिल कर कार्य जल्द शुरू करे।

48. बाँका जिलाः

48.1 जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में सिंचाई हेतु निर्धारित अवधि में साढ़े चार घण्टा बिजली की आपूर्त्ति की जा रही है।

48.2 10 दिसम्बर,2012 तक सभी खराब वितरण ट्रान्सफॉरमर को बदल दिया गया है। अभी मात्र दो वितरण ट्रान्सफॉरमर खराब है।

48.3 जिले में नाबार्ड फेज–XI के तहत 08 राजकीय नलकूपों को ऊर्जान्वित किया जाना है। 01 राजकीय नलकूप को ऊर्जान्वित किया जा चुका है। सात राजकीय नलकूपों को ऊर्जान्वित किये जाने का कार्य प्रगति में है। एक राजकीय नलकूप को छोड़कर शेष सभी नलकूपों को दिसम्बर,2012 तक ऊर्जान्वित करा दिया जायगा।

48.4 अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट (UMPP) हेतु जमीन कटोरिया के नजदीक चिन्हित किया गया है। अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक, बी.एस.पी.एच.सी.एल. द्वारा बताया गया कि जल्द ही UMPP की टीम बाँका जिले का दौरा करेगा। इस संबंध में जिलाधिकारी को सूचना दे दी जायगी।

48.5 पूर्ववर्त्ती बिहार राज्य विद्युत बोर्ड के जमीन एवं भवनों का पुनर्मूल्यांकन कर एक सप्ताह में भेज दिया जायगा।

49. बक्सर जिलाः

49.1 राजपुर पावर सब–स्टेशन कई वर्षो से अधूरा पड़ा है। जिलाधिकारी द्वारा इस पावर सब–स्टेशन को चालू कराने का अनुरोध किया गया।

49.2 केसठ प्रखंड में पावर सब–स्टेशन के निर्माण हेतु प्रखंड परिसर में जमीन उपलब्ध नहीं है। निजी जमीन चिन्हित कर शीघ्र सूचित कर दिया जायगां

49.3 जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में सिंचाई हेतु निर्धारित अवधि में बिजली की आपूर्त्ति हो रही है।

49.4 39 जगहों पर रिकंडक्टरिंग की जानी है। बक्सर से राजपुर के 30 कि.मी. लाईन का कार्य शुरू हुआ है जिसमें से 10 कि.मी. का कार्य हो गया है।

49.5 जिले में 146 करोड़ रूपया विद्युत विपत्र का बकाया है। जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि बकायेदारों का विद्युत संबंध विच्छेद करने हेतु प्रशासन से पुलिस बल दिया जायगा।

49.6 जिले में नाबार्ड फेज–XI के तहत 92 राजकीय नलकूपों को ऊर्जान्वित किया जाना है। 27 राजकीय नलकूप चालू स्थिति में है। 18 राजकीय नलकूपों के ऊर्जान्वित कर दिये जाने का रिपोर्ट प्राप्त हुआ है।

49.7 2x660 मेगावाट थर्मल पावर स्टेशन निर्माण हेतु भू–अर्जन की कार्रवाई प्रगति पर है।

49.8 ग्राम जबही में 11 के.वी. लाईन में ROW की समस्या है। जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि जहाँ से 11 के.वी. लाईन जा रहा है वहाँ मंदिर एवं बरगद का पेड़ है जिसके कारण ग्रामिणों द्वारा विरोध किया जा रहा है। बगल के जमीन मालिक से बात हुई है तथा अण्डरग्राउण्ड केबलिंग कर लाईन ले जाने हेतु कहा गया है। अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक, बी.एस.पी.एच.सी.एल. द्वारा मुख्य अभियन्ता (ग्रामीण विद्युतीकरण) को निदेश दिया गयाकि पी.जी.सी.आई.एल. से समन्वय कर इस कार्य को शीघ्र करा लिया जाना है।

ह0/–

(अशोक कुमार सिन्हा)
मुख्य सचिव।

ज्ञापांक–प्र02/विविध–वि0को0–19/12– 5660 पटना, दिनांक 28/12/12

प्रतिलिपिः–सभी प्रधान सचिव/सचिव/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

28/12/12

सरकार के उप सचिव,
ऊर्जा विभाग।

ज्ञापांक–प्र02/विविध–वि0को0–19/12– 5660 पटना, दिनांक 28/12/12

प्रतिलिपिः–अध्यक्ष–सह प्रबंध निदेषक, बिहार स्टेट पावर (होल्डिग) कम्पनी लि0, पटना को सूचनार्थ। अनुरोध है कि कार्यवाही की प्रति अपने स्तर से बिहार स्टेट पावर (होल्डिग) कम्पनी लि0, पटना के संबंधित पदाधिकारी को अनुपालन हेतु प्रेषित करने की कृपा की जाय।

28/12/12

सरकार के उप सचिव,
ऊर्जा विभाग।